इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 2025—ज्येष्ठ 30, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मई 2025

क्र. ई-1-239-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मनीष रस्तोगी (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मण्डल.

(2) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 जून 2025 से प्रभावशील होगा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

क्र. ई-5-630-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा दिनांक 27 से 30 मई 2025 तक, Indian States Study Tour covering Renewable Energy and Storage Technologies (Battery and Hydrogen), Resource Adequacy and Integrated Resource Planning (IRP) in the cities of San Francisco, Berkeley and Scramento California में सहभागिता हेतु अध्ययन दौरे में भाग लेने के अनुक्रम में, दिनांक 31 मई से 3 जून 2025 तक, चार दिवस का एक्स-इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के उक्त अध्ययन दौरे एवं अवकाश अवधि में लोक निर्माण विभाग का प्रभार श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) को तथा ऊर्जा विभाग का प्रभार श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे (2000) एवं श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009) सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7) यदि श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत् अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

क्र. ई-5-1143-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री पवार नवजीवन विजय, भाप्रसे (2019) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी के दिनांक 2 से 20 जून 2025 तक, कुल उन्नीस दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 12 से 22 जून 2025 तक, ग्यारह दिवस का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पवार नवजीवन विजय, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पवार नवजीवन विजय, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवार नवजीवन विजय, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2025

क्र. ई-1-80-2025-5-एक.—श्री अक्षय कुमार तेम्रवाल, भाप्रसे (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला दतिया का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2025

क्र. ई-एफ 1-1-1-0247-2025-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री योगेश मुदगल, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाऐं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 24 मार्च 2025 तक, दस दिवस की लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 20 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश मुदगल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2025

क्र. ई-एफ 1-1-1-0223-2025-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल, रेन्ज, शहडोल को दिनांक 26 से 30 मई 2025 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 व 31 मई एवं 1 जून 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल का चालू कार्य श्री रामजी श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2025

क्र. एफ 1-1-1-0224-2025-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री नवनीत भसीन, भापुसे-09, पुलिस उप महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 2 से 10 जून 2025 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 जून, 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत लेह-लददाख जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री नवनीत भसीन	—	स्वयं
2. श्रीमती शुभांगी भसीन	—	पत्नी
3. कु. धृति भसीन	—	पुत्री
4. कु. विदुषी भसीन	—	पुत्री

(2) श्री नवनीत भसीन, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन का चालू कार्य श्री प्रदीप शर्मा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, उज्जैन द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नवनीत भसीन, भापुसे, को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नवनीत भसीन, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री नवनीत भसीन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवनीत भसीन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2025

क्र. ई. एफ 1-1-1-0274-2025-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, भापुसे, जोनल पुलिस अधीक्षक, विशा. सागर का दिनांक 1 से 7 मार्च 2025 तक सात दिवस की लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 14 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बुद्धेश कुमार वैध, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जून 2025

फा. क्र. 2430-इक्कीस-ब(एक)-2025.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 2370-इक्कीस-ब (एक)-2025, दिनांक 28 मई, 2025 में हिन्दी संस्करण में निम्नलिखित संशोधन प्रतिस्थापित करता है, अर्थात् :—

संशोधन

अनु. क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	श्री अरबिंद गुर्जर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
17.	श्री भूपेन्द्र गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बिजावर.	बिजावर	छतरपुर	बिजावर	बिजावर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2025

पंजी क्र. 1874-2025-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में विभागीय आदेश दिनांक 30 मई 1992 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री जगदीशचंद्र गुप्ता को, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी के माध्यम से प्राप्त वाट्सअप (WhatsApp) के माध्यम से अवगत कराया है कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं, इन्दौर में अपने पुत्र के साथ रहता हूँ और आगे नोटरी नहीं करने के आधार पर तत्काल प्रभाव से उनका नाम नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.

पंजी क्र. 1883-2025-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उप तहसील बारीगढ़, जिला छतरपुर में विभागीय आदेश दिनांक 5 फरवरी 2009 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना को, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के माध्यम से प्राप्त आवेदन अनुसार भारत सरकार द्वारा नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के कारण उप तहसील बारीगढ़, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर से श्री सक्सेना का नोटरी प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए तत्काल प्रभाव से उनका नाम नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2025

क्र. 908-2347522-2024-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, साधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 3 जनवरी 2025 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [किशोर न्याय नियम, 2022 (नियम, 2016) का नियम 88(10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा श्री साकेत शर्मा को राजगढ़ बाल कल्याण समिति में सदस्य पद पर चयन की अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित किया गया था.

साधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी 2025 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [किशोर न्याय नियम, 2022 (नियम, 2016) का नियम 88(10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा श्री साकेत शर्मा को राजगढ़ बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष पद पर चयन की अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित किया गया है.

श्री साकेत शर्मा का राजगढ़ जिले में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद पर चयन होने के कारण उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से वरिष्ठता क्रम के आधार पर श्रीमती सलभा अंसारी को बाल कल्याण समिति राजगढ़ में सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए पदांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2025

सूचना

क्रमांक–यूडीएच–3/0187/2025/18–5 :– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक–1025/टीसी/07/भोपाल/ उपां/ नग्रानि/ 2025 दिनांक 12/03/2025 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2025 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैः–

अनुसूची

क्र.	ग्राम/तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1	ग्राम झागरिया खुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0	11	4.940	4.000	कृषि एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक तथा मार्ग (66.00 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)
		कुल रकबा	4.940	4.000 हेक्टेयर		

शर्तें:–

1. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में वर्तमान बायपास मार्ग स्थित है जिसकी भोपाल भोपाल विकास योजना, 2005 में चौड़ाई 66.00 मीटर निर्दिष्ट है । अतः मार्ग के मध्य से दोनो और 33.00–33.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा ।
2. प्रश्नाधीन भूमि के दक्षिण दिशा से लगकर शासकीय रास्ता है जिसकी नियोजन की दृष्टि सें न्यूनतम प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर रखना आवश्यक होगा अतः शासकीय रास्ता के मध्य से दोनों ओर 6.00 मीटर 6.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।
3. प्रश्नाधीन भूमि के दक्षिण–पश्चिम दिशा से लगकर शासकीय नाला गुजरता है । अतः नाला के किनारें से म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) के अनुसार 9.00 मीटर भूमि खुली छोड़ना आवश्यक होगा ।
4. सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक गतिविधियॉ हेतु नियमन तथा विकास मापदण्ड म0प्र0भूमि विकास नियम, 2012 एवं भोपाल विकास योजना, 2005 के प्रावधाननुसार लागू होगें ।
5. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग में अनुमति अनिवार्य होगी ।
6. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2025

क्रमांक/For/2/0032/2025-Sec-2-10:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा-34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसुची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/9-X/58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

अनुसुची

जिला :- नर्मदापुरम तहसील :- माखन नगर

वनमंडल :- नर्मदापुरम (सा.) वन परिक्षेत्र :- सोहागपुर

अ.क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे.) जो संरक्षित वन नही रहेगा	संरक्षित वन नही रहने का कारण	संरक्षित वन नही रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर डोलरिया	पहनतला	(नया) कक्ष क्रमांक - पी.एफ.-188	25.00	भारत शासन की स्वीकृती क्रमांक F.No.6-MPC045/2021-BHO दिनांक 24.11.2021 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) नर्मदापुरम की वनभूमि पर बसाये जाने हेतु वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना है।	**उत्तर** - नवीन कृत्रिम सीमा नया मुनारा क्रमांक-7 से नया मुनारा क्रमांक-6,5,4,3 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-2 तक। विस्थापित ग्राम जामढ़ाना सीमा। **पूर्व** - प्राकृतिक नाला नया मुनारा क्रमांक-2 से नया मुनारा क्रमांक-475/1 तक। **दक्षिण** - नवीन कृत्रिम सीमा नया मुनारा क्रमांक -475/1 से नया मुनारा क्रमांक -475/5 तक। **पश्चिम** - नवीन कृत्रिम सीमा नया मुनारा क्रमांक-475/5 से नया मुनारा क्रमांक-475/7, 475/8, 475/9 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-475/10 तक तथा नवीन कृत्रिम सीमा नया मुनारा क्रमांक-475/10 से नया मुनारा क्रमांक-7 तक।
	उत्तर खारदा		कक्ष क्रमांक - पी.एफ.-190	10.00		**उत्तर** - नवीन कृत्रिम सीमा नया मुनारा क्रमांक-22 से नया मुनारा क्रमांक-20 तक। **पूर्व** - नवीन कृत्रिम सीमा नया मुनारा क्रमांक-20 से आर.एफ.

						ब्लाक डूडादंह के मुनारा क्रमाक 514, 513, 512 होते हुए नया मुनारा क्रमांक 511/1 तक। **दक्षिण** - नवीन कृत्रिम सीमा नया मुनारा क्रमांक -511/1 से नया मुनारा क्रमांक-30 तक। **पश्चिम** - नवीन कृत्रिम सीमा नया मुनारा क्रमांक-3 0 से नया मुनारा क्रमांक -2 2 तक। विस्थापित ग्राम धाई की सीमा।
			योग -	35.00		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2025

क्र. FOR-2-0032-2025-Sec-2-दस(FOR) .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-2-0032-2025-दस-2, दिनांक 13 जून 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 13th June 2025

Number/ FOR/2/0032/2025-Sec-2-10(FOR)::In exercise of the powers conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares that the forest area as specified in the below given schedule , which was declared as Protected Forest by this department's notification no / **9-X/58** Dated **10th July 1958,** shall cease to be a Protected forest from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette and this land will be deemed to have been transferred to the Revenue Department.

SCHEDULE

District :-Narmadapuram Tehsil :- Makhan Nagar
Forest Division :- Narmadapuram (T.) Forest Range – Sohagpur

S.No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Com. No.	Area Cease to be Protected Forest (Ha.)	Brief description of reasons for Ceasing Protected Forest	Boundaries of Forest land Ceased to be Protected Forest
1	North Dolariya	Pahantala	(New) Com.no. PF-188	25.00	In compliance of condition number 1 of the Government of India's sanction number F.No.6-MPC045/2021-BHO dated 24.11.2021, the forest land of Narmdapuram Forest division is to be de-notified for rehabilitation of the village relocated from the protected area of satpura tiger reserve Narmdapuram.	**North:-** New artificial boundary from new Pillar No.-7 to New Pillar No.-2. through new Pillar No.-6,5,4,3 adjoining relocated village Jaamdana. **East:-** Natural nala Boundary from new Pillar no.-2 to new Pillar no.-475/1. **South:-** New artificial boundary from new Pillar no.-475/1 to new Pillar no.-475/5. **West:-** New artificial boundary from new Pillar no.-475/5 to new Pillar no.- 7 through new Pillar no.- 475/7, 475/8, 475/9, 475/10.
2	North Kharda		Com.no. P.F.- 190	10.00		**North:-** New artificial boundary from Pillar No.-22 to new Pillar No.-20. **East:-** New artificial boundary from new Pillar No.-20 to new Pillar no.-511/1 through old Pillar No.-514, 513, 512 of RF Block Dundadeh . **South:-** New Artificial boundary from new Pillar no.-511/1 to new Pillar no.-30. **West:-** New artificial boundary from new Pillar no.-30 to new Pillar no.- 22 adjoining boundary of Relocated Village Dhai.
			Total	**35.00**		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK BARNWAL, Addl. Chief Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2025

क्रमांक/PCCF/7/0244/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला-सागर तहसील – केसली

वनमण्डल- दक्षिण सागर (सामान्य) वन परिक्षेत्र – केसली

अ.क्र	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	**बिलैकी**	**बिलैकी**	शासकीय भूमि	62/2 (S) 69 (S)	17.390 17.010	**उत्तर-** बिलैकी संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 7 तक की कृत्रिम वन सीमा। **पूर्व-** बिलैकी संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 23 तक कृत्रिम वन सीमा। **दक्षिण-** बिलैकी संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 23 से मुनारा क्रमांक 26 तक कृत्रिम वन सीमा। **पश्चिम-** बिलैकी संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से मुनारा क्रमांक 59 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग :-	**34.400**	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :—

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक/6-MPC-026/2021-BHO दिनांक 25.04.2022 (औपचारिक स्वीकृति)में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग, सागर की स्वीकृत पडरियाकलां जलाशय परियोजना में प्रभावित रकवा 34.400 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में दक्षिण सागर वनमण्डल के अंतर्गत प्राप्त गैर वनभूमि तहसील-केसली के अंतर्गत ग्राम-बिलैकी पटवारी हल्का नम्बर-07, तहसील केसली जिला सागर, खसरा नम्बर-62/2 (S) कुल रकवा 31.860 हेक्टेयर में से 17.390 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर-69 (S) कुल रकवा 17.010 हेक्टेयर में से 17.010 हेक्टेयर = कुल रकवा 34.400 हेक्टेयर राजस्व भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के प्रकरण क्रमांक-01अ/19(3) वर्ष 18-19 पारित आदेश दिनांक 25.10.2018 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार केसली के द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।

2. सामुदायिक अधिकार - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2025

क्र. PCCF-7-0244-2025-FLR-PCCF.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0244-2025-FLR-PCCF, दिनांक 16 जून 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 16th June 2025

No./**PCCF/7/0244/2025-FLR-PCCF** :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time.

SCHEDULE

District- Sagar Tehsil- **Kesli**

Forest Division- South Sagar (territorial) Range-**Kesli**

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in He.	
1	Bilaiki	Bilaiki	Government Land	62/2 (S) 69 (S)	17.390 17.010	**North** – Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 7 of Bilaiki Protected Forest Block. **East** – Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 to Pillar No. 23 of Bilaiki Protected Forest Block. **South** - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 23 to Pillar No. 26 of Bilaiki Protected Forest Block. **West** - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 26 to Pillar No. 59 to 1 of Bilaiki Protected Forest Block.
				TOTAL	**34.400**	

(A) Reason for publication of Notification: -

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC-026/2021-BHO dated 25-04-2022 (Final Approval) and in lieu of **34.400** hectare affected forest land under the sanctioned project of **Padriyakalan Irrigation Project** of Project Water Resource Division sagar (M.P.), the above mentioned Revenue land of **17.390** hectare (Khasra No. 62/2(S) & **17.010** hectare (Khasra No. 69) Total **34.400** hectare Revenue land is transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Collector Sagar order no. & 01A/19(3) Year 2018-19 date 25-10-2018 for the purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recored rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Kesli are as under.

1. Rights of individuals: - Above Mentioned Land Does Not Have any individuals Rights.

2. Rights of communities: - Above Mentioned Land Does Not Have any communities Rights.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2025

क्रमांक/PCCF/7/0247/2025-FLR-PCCF ::भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - देवास तहसील - खातेगांव
वनमंडल - देवास वनपरिक्षेत्र - खातेगांव

अ.क्र.	वनखंड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं	
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे.)		
1	गुराड़िया	गुराड़िया	शासकीय	85	0.230	उत्तर	गुराड़िया संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्रं. 2 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पूर्व	गुराड़िया संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 2 से मुनारा क्रं.4 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण	गुराड़िया संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 4 से मुनारा क्रं. 5 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम	गुराड़िया संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 5 से मुनारा क्रं.1 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं खातेगांव नेमावर मार्ग ।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

1. कलेक्टर देवास जिला देवास का आदेश क्रमांक 45/अ-19(3)/2016-17 दिनांक 21.03.2017 से वृक्षारोपण हेतु तहसील खातेगांव जिला देवास पटवारी हल्का 62 ग्राम गुराड़िया (नेमावर) के सर्वे क्र. 85 रकबा 0.230 हेक्टर राजस्व भूमि म.प्र. शासन वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण -निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तहसील खातेगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।
2. सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2025

क्र. PCCF-7-0247-2025-FLR-PCCF.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0247-2025-FLR-PCCF, दिनांक 16 जून 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 16th June 2025

No./**PCCF/7/0247/2025-FLR-PCCF** :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act., 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas. Specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE

District-Dewas Tahsil - Khategaon

Forest Division - Dewas Forest Range - khategaon

S.N	Name of Proposed Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries		(A)
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)			
1	Guradiya	Guradiya	Government	85	0.230	North	Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 2 of Guradiya protected forest block.	
						East	Artificial forest boundary from Pillar No 2 to Pillar No. 4 of Guradiya protected forest block.	
						South	Artificial forest boundary from Pillar No 4 to Pillar No. 5 of Guradiya protected forest block.	

						West	Artificial forest boundary from Pillar No 5 to Pillar No. 1 of Guradiya protected forest block and khategoan nemavar road.

Reason for publication of Notification: –

1. Revenue Land of tehsil khategaon district dewas patwari halka no. 62 village guradiya (nemavar) survey no. 85 area 0.230 hec. has been transferred in favour of MP Govt. forest department for the purpose of plantation as per order no. 45/A-19(3)/2016-17 dated 21.03.17 of the collector dewas district dewas.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Details of recorded rights on the above land as per certificate of Competent revenue officer Tehsildar Tehsil khategaon are as under.

1. Individuals Rights – No individuals Rights on Above Land.

2. Community Rights – No Community Rights on Above Land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2025

क्रमांक/PCCF/7/0261/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, **1927** (क्रमांक **16** ए सन् **1972**), की धारा **29** द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय **4** के प्रावधानों/उपबंधों को नीचे कर अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला – नरसिंहपुर तहसील – करेली

वनमंडल – नरसिंहपुर वन परिक्षेत्र – बरमान

क्र.	वनखंड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वनखण्ड की सीमाएं
1	रीछई	नेगुंवा	शासकीय	118/1 119/1 318/5	0.170 0.202 0.093	**उत्तर**– रीछई संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पूर्व– रीछई संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण– रीछई संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम– रीछई संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				कुल	**0.465**	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक पत्र क्र. **6-MPB016/2011-BHO/910** दिनांक **29-05-2012** में अधिरोपित शर्त के अनुसार अध्यक्ष श्री राजराजेश्वरी शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति, हीरापुर तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर की स्वीकृत परियोजना शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्माणार्थ प्रभावित वन भूमि **0.465** हेक्टेयर के एवज में प्राप्त कुल **0.465** हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरांत वर्णित भूमि **0.465** हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वनविभाग के पक्ष में तहसीलदार करेली के रा.मा.क्रमांक/**01**-अ **24** वर्ष **2012-13** दिनांक **25/09/2013** से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार करेली (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक/दिनांक 01/07/2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा - 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2025

क्र. PCCF-7-0261-2025-FLR-PCCF.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0261-2025-FLR-PCCF, दिनांक 16 जून 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 16th June 2025

No. PCCF/7/0261/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927,(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District:-Narsinghpur Tahsil :- Kareli

Forest Division:-Narsinghpur Forest Range:- Barman

S.N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Richhai	Neguwan	Government	118/1 119/1 318/5	0.170 0.202 0.093	**North-** Artificial forest boundary from Piller No. 6 to 1 of Richhai Protected Forest Block. **East**-Artificial forest boundary from Piller No. 1 to 2 of Richhai Protected Forest Block. **South-** Artificial forest boundary from Piller No. 2 to 4 of Richhai Protected Forest Block. **West-** Artificial forest boundary from Piller No. 4 to 6 of Richhai Protected Forest Block.
				Total	0.465	

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Regional Office Bhopal order No **6-MPB 016/2011-BHO/910** dated 29.05.2012 and in lieu of 0.465 hectare of affected forest land under the sanctioned project of President Shri RajRajeshwari Institute of Education & Training, Heerapur, Tehsil-Tendukheda, District-Narsinghpur of Educational & Traning Institutes Project the above mentioned non forest/Revenue Forest land of 0.465 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order no. 01-A 24 Year 2012-13 dated 25-09-2013 of Tehsildar Kareli for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 01-07-2021 of Tahsildar kareli (Designation of competent Revenue officer) are as under

1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights:- There are no Community rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of India Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2025

क्रमांक/**PCCF/7/0311/2025-FLR-PCCF** :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

जिला:- खण्डवा
वनमंडल:-खण्डवा (सा.)

तहसील - छैगाँव माखन
वन परिक्षेत्र – खण्डवा (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	मोघट ब	मोघट	शासकीय भूमि	291/2	9.060	उत्तर- मोघट अ संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7/1 से मोघट ब संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 व 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मोघट ब संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण – मोघट ब संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 21 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मोघट ब संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 21 से 22 होते हुये संरक्षित वनखण्ड मोघट के मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा। संरक्षित वनखण्ड मोघट के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तथा वनखण्ड मोघट ब के मुनारा क्रमांक 23 तक वनसीमा तथा संरक्षित वनखण्ड ब के मुनारा क्रमांक 23 से संरक्षित वनखण्ड मोघट अ के मुनारा क्रमांक 7/1 तक वनसीमा।
2.	मोघट स	मोघट	शासकीय भूमि	291/3	6.615	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड मोघट अ के मुनारा क्रमांक 3/1 से मोघट स संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मोघट स संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण – मोघट स संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 5 एवं संरक्षित वनखण्ड मोघट अ के मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड मोघट अ के मुनारा क्रमांक 4 से मुनारा क्रमांक 3/1 तक की वन सीमा।

3.	मोघट द	मोघट	शासकीय भूमि	291/4	2.64	उत्तर- मोघट द सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मोघट द संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण – मोघट द संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मोघट द संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक4 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग					**18.315**	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक FP/MP/HYD/IRRIG/469105/2024 दिनांक 21.01.2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 19 भीकनगांव जिला खरगोन की स्वीकृत परियोजना खण्डवा माइक्रो सिंचाई अंडरग्राउण्ड पाईप लाईप हेतु प्रभावित 18.315 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 18.315 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 18.315 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 80/अ-59/2024-25 खण्डवा, दिनांक 25.10.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. **अन्य कारणों का विवरण-** निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदारछैगाँव माखन के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2025

क्र. PCCF-7-0311-2025-FLR-PCCF.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0311-2025-FLR-PCCF, दिनांक 16 जून 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 16th June 2025

No./**PCCF/7/0311/2025-FLR-PCCF** :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Khandwa
Tahsil : - Chhaigaon Makhan
Forest Division: -.Khandwa
Forest Range :- Khandwa

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Ha.)	
1	Moghat B	Moghat	Government Land	291/2	9.060	**North** – From pillar number 7/1 of the protected forest block "Moghat A" to pillar numbers 1 and 3 of the protected forest block "Moghat B" (along the artificial forest boundary). **East** – From pillar number 3 to pillar number 14 of the protected forest block "Moghat B" (along the artificial forest boundary). **South** – From pillar number 14 to pillar number 21 of the protected forest block "Moghat B" (along the artificial forest boundary). **West** – From pillar number 21 to 22 of the protected forest block "Moghat B", then to pillar number 1 of the protected forest block "Moghat", from there to pillar number 3, and then to pillar number 23 of the protected forest block "Moghat B" (along the forest boundary). From pillar number 23 of "Moghat B" back to pillar number 7/1 of the protected forest block "Moghat A" (along the forest boundary).

2.	Moghat C	Moghat	Government Land	291/3	6.615	**North** – From pillar number 3/1 of the protected forest block "Moghat A" to pillar number 1 of the protected forest block "Moghat C" (along the artificial forest boundary). **East** – From pillar number 1 to pillar number 3 of the protected forest block "Moghat C" (along the artificial forest boundary). **South** – From pillar number 3 to 5 of the protected forest block "Moghat C" and up to pillar number 4 of the protected forest block "Moghat A" (along the artificial forest boundary). **West** – From pillar number 4 to pillar number 3/1 of the protected forest block "Moghat A" (along the forest boundary).
3.	Moghat D	Moghat	Government Land	291/4	2.64	**North**- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 2 of Moghat D Protected Forest Block. **East**- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to Pillar No. 3 of Moghat D Protected Forest Block. **South**- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to Pillar No. 4 of Moghat D Protected Forest Block. **West** – Artificial Forest Boundary from Pillar No. 4 to Pillar No. 1 of Moghat D Protected Forest Block.
Total					**18.315**	

(A) Reason for publication of Notification :-

In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Bhopal order No. FP/MP/HYD/IRRIG/469105/ 2024 dated 21.01.2025 and in lieu of 18.315 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Khandwa Micro Lift Irrigation Project (Underground Pipeline) of Executive Engineer, Narmada Development Division No. 19 Bhikangaon the above mentioned Non Forest Land of 18.315 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No.80-A-59/2024-25 Khandwa Dated 25.10.2024 Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.

1. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Chaigao makhan are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights – Nil

Therefore, the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 13 जून 2025

क्र. एफ-1-3-25-रा. स.-यू. ए. 1-604.—महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्र. 15 सन् 2008) की धारा 28 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलगुरू के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

1.	प्रो. कपिल देव मिश्र, (पूर्व कुलगुरू, रानी दुर्गावती वि. वि.) प्रोफेसर, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला सतना (म. प्र.).	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित.
2.	प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह, कुलपति, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम-करहारा, पोस्ट-फतेहपुर, गया (बिहार).	समिति के सदस्य	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
3.	प्रो. राज कुमार आचार्य, कुलगुरू, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.).	समिति के सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामांकित.

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. कपिल देव मिश्र, पूर्व कुलगुरू को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

4. समिति पैनल तैयार करने में कुलगुरू की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022-रास-यू.ए. 1, दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.

कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 25 मार्च 2025

क्र. 1-2-नवम-(1) 86.—मैं, रजनी सिंह, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के आदेश क्रमांक 473-7258-सोलह, दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करती हूँ :—

सारणी

क्रमांक	निरीक्षक का नाम	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	श्री चंद्रशेखर शर्मा, श्रम निरीक्षक	पदस्थापना के कार्यालय में स्थित स्थानीय क्षेत्रों एवं उसमें स्थित सभी प्रकार के संस्थानों तथा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिये, किन्तु यह क्षेत्राधिकार मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 41(3) के अध्यधीन होगा.
2.	श्री प्रमोद मीना, श्रम उप निरीक्षक	
3.	श्री रितिक मुकाती, श्रम उप निरीक्षक	
4.	श्री बिंद्रावन सिंह, श्रम उप निरीक्षक	
5.	श्री देवेन्द्र सिंह कवासे, श्रम उप निरीक्षक	
6.	श्री अरविंद कुमार मरावी, श्रम उप निरीक्षक	

रजनी सिंह, श्रमायुक्त.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 जून 2025

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1008-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	महदेवा	0.5370	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1009-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	गंगवरिया	1.4060	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत विकरा माइनर एवं भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1010-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	कतकोन खुर्द	0.5258	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत कतकोन सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1011-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	शिवराजपुर	5.5869	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत ररा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1012-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	अमिलिया	1.5917	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत अमिलिया सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1013-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	इटौरा खुर्द	1.3750	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत धौरहरा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1014-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	कल्पा	2.5531	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत कल्पा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1015-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	अमिलिया	2.5056	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1016-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बधाव उवारी	1.2144	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत शुकुलगवां माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1017-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बण्डी	3.1440	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत कोल माइनर एवं कोल सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1018-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	तिघरा	1.0180	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत बड़ोहरा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1019-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	चकरा	0.3324	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत खम्हरिया माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1020-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बरकछी	2.4959	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत बरकछी सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1021-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	आमा	9.8984	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत कोटा माइनर एवं कोटा सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1022-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	रौड़	8.1432	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत खम्हरिया माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1023-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	कोटा	2.9348	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत कोटा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1024-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	खम्हरिया खुर्द	2.4756	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत खम्हरिया माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 12 जून 2025

पत्र क्र. 64-प्रका.-भू-अर्जन-2025-प्र. क्र. 03-अ-82-2024-25.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम सूजी, तहसील मऊगंज स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21 जुलाई 2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियों / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. अत: अधिनियम की धारा 25(2) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) से (5) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (7) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नं.	रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	मऊगंज	सूजी	213	0.001	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा.	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु.
			348	0.001		
			556	0.001		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मऊगंज में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 21 मई 2025

पत्र क्र. 32-प्रवा.-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—मऊगंज

(ख) तहसील—नईगढ़ी

(ग) ग्राम—भदावल

(घ) क्षेत्रफल—0.052 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
816	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—''बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत बूस्टर पम्प हाउस पहुंच मार्ग के निर्माण'' में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 जून 2025

पत्र क्र. 386-प्रवा.-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगंवा

(ग) ग्राम—इटहा

(घ) क्षेत्रफल—0.128 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
24/7	0.028
24/8	0.073
24/6	0.027

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—''बाणसागर नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत पी. एच. 2 पहुंच मार्ग के निर्माण'' में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, उपायुक्त (राजस्व), संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

प्ररुप– "ख"

[नियम–5 का उपनियम (2) देखिए]

शहडोल, दिनांक 28 मई 2025

क्रमांक /03/बी–121/2023–24, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कंचनपुर, पटवारी हल्का–कंचनपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW-03-22 to TL-03 एवं SW-06-24 to SW-05-23, SW-04-20-A to SW-05-21 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/ कंचनपुर	1465/4	0.040
			1468/1/1	0.014
			1468/1/2	0.014
			1468/1/3	0.014
			1468/1/4	0.014
			1468/1/6	0.050
			1468/2/1/1, 1468/2/1/2	0.138
			1468/3	0.140
			2150/3	0.035
			2149/1/1	0.304
			2149/1/2/1, 2149/1/2/2	0.310
			2143	0.177
			2144	0.178
			2142	0.224

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			990/3	0.010
			991	0.007
			992	0.010
			989/1	0.110
			989/2	0.110
			989/3	0.111
			988/3	0.030
			988/4/1	0.016
			985/1	0.013
			985/2	0.027
			985/3	0.014
			986/1	0.005
			984	0.039
			982	0.010
			981	0.010
			980/1	0.059
			980/2	0.059
			980/3/1	0.027
			980/3/2	0.028
			979	0.042
			978	0.010
			975	0.057
			974/1	0.024
			974/2/1	0.022
			974/2/2	0.010
			974/2/3	0.012
			973	0.010
			971/1	0.010
			971/2	0.010
			969	0.126
			968/2	0.005
			968/4	0.005
			965	0.010
			966	0.045
			897/2	0.087
			893/1/1, 893/1/2, 893/2	0.021
			291/1	0.046
			291/2	0.046
			291/3	0.046
			291/4	0.046
			291/5	0.046
			347/3	0.679
			297/2	0.080
			303/2	0.136
			296/1/1	0.110
			296/1/2	0.050
			348/2	0.144

प्ररुप-- ''ख''

[नियम–5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक /04/बी–121/2023–24, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर, पटवारी हल्का–लालपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW-08-22-C to SW-09-22, SW-10-19-H-IIIA to SW-10-20 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	लालपुर / लालपुर	1801/1/2/1, 1801/1/2/2	0.090
			1820/2	0.260
			1804/4	0.130
			1869	0.364
			2139/1	0.070
			2139/2	0.072
			2139/3	0.070
			2139/4	0.074
			2137/1	0.078
			2137/2	0.078
			2137/3	0.078
			2127/1	0.123
			2159/1	0.170
			2159/4	0.070
			2161/3	0.060
			2166/3	0.110
			2166/4	0.040
			2166/5	0.031
			2175/1	0.090
			2175/2/1.	0.046
			2175/2/2.	0.046
			2174/1	0.040
			2174/2	0.030
			1989/2	0.163
			2169/1	0.070

उपायुक्त (राजस्व)
शहडोल (म.प्र.)

प्ररुप– "ख"

[नियम–5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक /10/बी–121/2022–23, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम समदाटोला, पटवारी हल्का– पकरिया, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	बुढ़ार	समदाटोला/ पकरिया	7/2	0.394
			7/8	0.120
			38/495/1	0.138
			38/1/1, 38/1/2, 38/2	0.162
			55	0.104
			34/7	0.160
			34/16	0.260
			34/20	0.200
			151	0.110

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मिनीषा भगवती पाण्डेय, उपायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–944–भू–अर्जन–2025 सिंगरौली, दिनांक 11 जून 2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है किसंलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र कमांक 22(ए)/356/2017/एम.पी.ए.एस. /21/1785 भोपाल दिनांक 20/09/2017 द्वारा जिला सिंगरौली अंतर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/33/2017/-IA-I(R) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगें। भूमि–अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के बाबत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रकिया तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से सिंगरौली एवं सीधी जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 33000 हे0 भूमि सिंचित होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि–अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:– धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

–: अनुसूची :–

(1) <u>भूमि का वर्णन</u>–

(क) जिला :– सिंगरौली

(ख) तहसील :– सरई

(ग) ग्राम :– झारा

(ड.) निजी भूमि काअर्जित क्षेत्रफल :– 0.950 हे0

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे0 में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3132	0.72	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2 सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.)	गोड़ वृहद सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.
2	3134	0.23		
	निजी भूमि का योग..	0.950		

2. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(7)–2014–सात–शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के कमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा–12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर एव कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क0–2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सिंगरौली के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(8)–2014–सात–शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र 10. के पृ कमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर एवं परियोजना प्रबंधक कार्यपालन यंत्री जल संसाधनसंभाग क0–2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय–सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

4. अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहींहोने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

5. अधिनियम की धारा–15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.–946–भू–अर्जन–2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है किसंलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र कमांक 22(ए)/356/2017/एम.पी.ए.एस. /21/1785 भोपाल दिनांक 20/09/2017 द्वारा जिला सिंगरौली अंतर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/33/2017/-IA-I(R) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगें। भूमि–अर्जन पुर्नवारास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रकिया तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से सिंगरौली एवं सीधी जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 33000 हे0 भूमि सिंचित होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि–अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:–

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन–

(क) जिला :– सिंगरौली

(ख) तहसील :– सरई

(ग) ग्राम :– हर्दी

(ड.) निजी भूमि काअर्जित क्षेत्रफल :– 96.087हे0

क्र.	खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे0 में	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	593	0.12	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क.2 सिंगरौली जिला सिंगरौली म.प्र.	गोंड वृहद सिंचाई परियोजना के बॉध एवं डूब क्षेत्र हेतु
2	595	0.64		
3	597	0.81		
4	599	0.081		
5	601	0.81		

6	602	0.19
7	603	0.4
8	606	1.22
9	607	0.46
10	609	0.08
11	610/1	0.1
12	610/2	0.04
13	610/3	0.05
14	610/4	0.05
15	611	0.05
16	612	0.83
17	614	0.4
18	619/1	0.9
19	619/2	0.83
20	619/3	0.85
21	620	0.18
22	621	0.26
23	622	0.15
24	623	0.32
25	627	0.02
26	673	0.04
27	674	0.35
28	675	0.26
29	676	0.04
30	677/1	0.04
31	677/2	
32	678/1	0.56
33	678/2	
34	679/1	0.53
35	679/2	
36	679/3	
37	680/1	0.53
38	680/2	
39	680/3	
40	682/1	0.27
41	682/2	
42	682/3	

43	709	0.01
44	710	0.04
45	711/1	0.65
46	711/2	
47	712	0.52
48	713/1	0.15
49	713/2	
50	713/3	
51	714/1	0.21
52	714/2/1	0.07
53	714/2/2	0.07
54	714/2/3	0.07
55	717	0.13
56	718	0.25
57	719	0.22
58	720	0.12
59	721	0.1
60	722	0.12
61	723/1	0.01
62	723/2	
63	724	0.03
64	731	0.04
65	738/1	0.08
66	738/2	
67	738/3	
68	739	0.02
69	740	0.11
70	741	0.55
71	742	0.57
72	743/1	0.16
73	743/2/1	0.26
74	743/2/2	
75	743/2/3	
76	743/2/4	
77	743/2/5	
78	743/2/6	
79	744/1	0.03

80	744/2	0.36
81	745/1	0.6
82	745/2	0.7
83	745/3	0.29
84	745/4	0.26
85	745/5	0.35
86	745/6	0.35
87	747	1.16
88	748	0.45
89	753	0.15
90	755	0.86
91	756	0.74
92	757	0.47
93	758	0.44
94	760	0.4
95	761	0.3
96	764/1	0.1
97	764/2	0.1
98	764/3	0.1
99	764/4	0.1
100	765	0.78
101	770/1	0.04
102	770/2	0.04
103	770/3	0.04
104	770/4	0.04
105	774	0.18
106	776/1	0.02
107	776/2	0.02
108	776/3	0.02
109	781	0.09
110	782	0.16
111	783	0.15
112	785/1	0.03
113	785/2	0.03
114	785/3	0.02
115	788	0.13
116	789	0.61

117	791	0.05
118	792	1.57
119	793	1.32
120	794	0.35
121	797/1	0.92
122	797/2	
123	797/3	
124	798/1	0.31
125	798/2	0.16
126	799/1	0.05
127	799/2	0.08
128	799/3	0.14
129	800	0.09
130	801	0.13
131	802/1	0.04
132	802/2	0.04
133	802/3	0.05
134	803	0.31
135	804/1	0.15
136	804/2	0.14
137	804/3	0.14
138	805	0.8
139	806/1	0.05
140	806/2	0.04
141	806/3	0.04
142	807	0.1
143	808	0.7
144	809/1	0.02
145	809/2	0.02
146	809/3	0.03
147	810	0.06
148	811/1	0.35
149	811/2	0.35
150	813	1.61
151	814/1	0.08
152	814/2/1	0.06
153	814/2/2	0.06

154	814/2/3	0.06
155	815/1	0.08
156	815/2	0.2
157	816/1	0.07
158	816/2	0.06
159	819	1.53
160	821	0.09
161	824	0.21
162	825	0.13
163	826	0.31
164	828/1	1.55
165	828/2	
166	828/3	
167	830	0.2
168	833	0.08
169	834	0.07
170	837	0.08
171	838	0.07
172	843	0.04
173	844	0.04
174	846/1	0.05
175	846/2	0.13
176	847	0.06
177	848	0.12
178	849	0.19
179	850	0.33
180	852	0.15
181	853	0.55
182	854	0.56
183	856	0.6
184	858	0.31
185	859	0.56
186	860	0.61
187	864	0.41
188	866/1/1	0.06
189	866/1/2	0.06
190	866/1/3	0.06

191	866/1/4	0.06
192	866/1/5	0.03
193	866/2	0.31
194	866/5/2	0.03
195	869	0.3
196	870	0.75
197	872/1	0.13
198	872/2	0.3
199	872/3	0.14
200	872/4	0.14
201	873	0.06
202	874/1	0.22
203	874/2	0.4
204	875	0.46
205	876	0.15
206	880	0.09
207	881	0.46
208	882	0.77
209	884/1	0.12
210	884/2/1	0.16
211	884/2/2	0.04
212	886	1.53
213	888	0.55
214	889	0.98
215	891/2	0.82
216	893	0.99
217	894	0.27
218	898	0.44
219	899	1.25
220	901	1.93
221	902/1	0.12
222	902/2	
223	902/3	
224	903/1/1	0.09
225	903/1/2	0.09
226	903/1/3	0.04
227	903/2	0.46

228	904	0.43
229	905	0.06
230	906	0.06
231	2436/2	0.06
232	2443	0.21
233	1/1/2444	0.2
234	1/2/2444	
235	2444/2	
236	3/1/2444	
237	3/2/2444	
238	2444/4	
239	2447/2	0.35
240	2450	0.44
241	2463/2	0.04
242	2466	0.08
243	2467	0.32
244	2468/2	0.04
245	2470	0.15
246	2471/2	0.02
247	2473/2	0.02
248	2473/3	0.02
249	2481	0.02
250	2483	0.2
251	2487	0.48
252	2488	1.05
253	2497	0.81
254	2499/1	0.05
255	2499/2	0.04
256	2499/3	0.02
257	2499/4	0.03
258	2499/5	0.02
259	2500	0.13
260	2501/1	0.02
261	2501/2	
262	2501/3	
263	2501/4	
264	2501/5	

265	2502	0.09
266	2503/1	0.05
267	2503/2	0.03
268	2503/3	0.05
269	2503/4	0.05
270	2503/5	0.07
271	2504	0.15
272	2505	0.02
273	2506	0.25
274	2507	0.2
275	2509/1	0.11
276	2509/2	0.11
277	2510	0.21
278	2511	0.27
279	2512	0.21
280	1/1/2514	1.75
281	1/2/2514	
282	2514/1/3/1	
283	2514/1/3/2	
284	1/4/2514	
285	1/5/2514	
286	2514/2	
287	2519	0.21
288	2520/1	0.41
289	2520/2	0.41
290	2520/3	0.19
291	2521	0.2
292	2525	0.56
293	2526/1	3.03
294	2526/2	
295	2530	1.81
296	2531	0.81
297	2533	0.91
298	1/1/2534	5.2
299	1/1/2534	
300	1/1/2534	
301	1/1/2534	

302	1/2/2534			
303	2534/2			
304	2/1/2534			
305	2/1/2534			
306	2534/2/			
307	2534/2/			
308	3/1/2534			
309	3/2/2534			
310	3/3/2534			
311	2534/4			
312	2536			
313	2535	0.4		
314	2537	0.88		
315	2539	0.81		
316	2543	0.4		
317	2544	0.81		
318	2545	1.99		
319	2548/2	0.04		
320	2552	0.51		
321	2553	0.85		
322	2554	1.12		
323	2555	0.22		
324	2563	0.72		
25	2594 2437	0.62		
326	2595/2553	0.79		
327	2596/2553	0.7		
	निजी भूमि का योग--	96.087		

2 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16–15 (7)–2014–सात शा, 2 भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका गजप0 राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा–12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर एवं

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क0–2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सिंगरौली के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे

3 राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(8)–2014–सात–शा. 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र 10. के पृ कमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है : अतः प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर एवं परियोजना प्रबंधक कार्यपालन यंत्री जल संसाधनसंभाग क0–2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय–सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे

4 अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर की पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

5. अधिनियम की धारा–15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.–948–भू–अर्जन–2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है किसंलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र कमांक 22(ए)/356/2017/एम.पी.ए एस /21/1785 भोपाल दिनांक 20/09/2017 द्वारा जिला सिंगरौली अंतर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/33/2017/-IA-I(R) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अत: अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगें। भूमि–अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रकिया तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से सिंगरौली एवं सीधी जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 33000 हे0 भूमि सिंचित होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अत: भूमि–अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:–

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन–

(क) जिला :– सिंगरौली

(ख) तहसील :– सरई

(ग) ग्राम :– हरिहरपुर

(ड.) निजी भूमि काअर्जित क्षेत्रफल :– 2.50हे0

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे0 में	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	30	0.56	कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्र–2 सिंगरौली जिला सिंगरौली (म.प्र.)	गोड़ वृहद सिंचाई परियोजना के बॉध एवं डूबक्षेत्र हेतु
2	31	0.3		
3	59	0.24		
4	219	0.95		
5	221	0.46		
	निजी भूमि का योग–	2.50		

2. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(7)–2014–सात–शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के कमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा–12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क0–2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सिंगरौली के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(8)–2014–सात–शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र 10. के पृ कमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर एवं परियोजना प्रबंधक कार्यपालन यंत्री जल संसाधनसंभाग क0–2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय–सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

4. अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई सव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहींहोने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

5. अधिनियम की धारा–15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.–950–भू–अर्जन–2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है किसंलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की राज्य शासन के जल संसाधन विभाग को गोंड वृहद सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र कमांक 22(ए)/356/2017/एम.पी.ए. एस./21/1785 भोपाल दिनांक 20/09/2017 द्वारा जिला सिंगरौली अंतर्गत गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/33/2017/-IA-I(R) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगें। भूमि–अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना के बाबत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रकिया तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से सिंगरौली एवं सीधी जिले के लगभग 147 ग्रामों की लगभग 33000 हे0 भूमि सिंचित होनी है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि–अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:–

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन–

(क) जिला :– सिंगरौली

(ख) तहसील :– सरई

(ग) ग्राम :– भरसेड़ी

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– 42.48हे0

क्र.	खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे0 में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	2343	0.5	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्र.2 सिंगरौली जिला सिंगरौली (म.प्र.)	गोड़ वृहद सिंचाई परियोजना के बॉध एव डूब क्षेत्र हेतु
2	2344	1		
3	2346	0.6		
4	2347	1.05		
5	2349	0.73		
6	2353/2	1		
7	2353/3	0.04		
8	2353/4	0.04		

9	2354/2	0.04			
10	2354/3	0.04			
11	2354/4	0.02			
12	2356	1			
13	2365	0.19			
14	2366	0.66			
15	2367	0.19			
16	2368	0.04			
17	2369	0.21			
18	2370	0.03			
19	2374	1.5			
20	2375/2	1			
21	2379	0.42			
22	2403	0.38			
23	2495/2	0.02			
24	2499/2	0.04			
25	2499/3	0.04			
26	2499/4	0.01			
27	2499/5	0.02			
28	2499/6	0.02			
29	2499/7	0.02			
30	2500	0.36			
31	2501	0.07			
32	2534	0.05			
33	2536/2	0.02			
34	2536/3	0.02			
35	2536/4	0.02			
36	2537	0.04			
37	2538	0.9			
38	2539/1	0.55			
39	2539/2	0.03			
40	2539/3	0.03			
41	2540	0.04			
42	2541	1.08			
43	2542	0.07			
44	2543	0.2			
45	2544	0			
46	2545	0.08			
47	2547	0.03			
48	2559	0.06			
49	2560	0.17			
50	2561	0.23			
51	2562	0.01			
52	2563	0.06			
53	2577	0.01			
54	2579	0.1			
55	2580	0.18			
56	2581	0.32			
57	2582	0.2			
58	2584	0.34			

59	2585	0.44
60	2587	0.06
61	2588	0.19
62	2589	0.34
63	2590	0.21
64	2591	0.19
65	2592	0.18
66	2594	0.74
67	2596	0.17
68	2597	0.4
69	2598/1	0.9
70	2598/2	0.67
71	2606	0.02
72	2608	0.19
73	2609	0.01
74	2644	0.08
75	2645	0.63
76	2646	0.13
77	2647	0.16
78	2648/1	0.05
79	2648/2	0.4
80	2656	0.2
81	2658	0.11
82	2659	0.88
83	2660	0.74
84	2661	0.38
85	2662	1.04
86	2663/1	0.07
87	2663/2	0.07
88	2663/3	0.07
89	2664/1	0.29
90	2664/2	0.48
91	2671	0.06
92	2672	0.25
93	2673/1	0.64
94	2673/2	
95	2674	0.62
96	2675	0.04
97	2676	1.35
98	2677	1.67
99	2680	0.34
100	2683	0.77
101	2684	1.1
102	2704	0.07
103	2705	0.01
104	2706	0.48
105	2707	0.1
106	2847/1	1.8
107	2847/2	1.8
108	2847/3	1.79

109	3441	1.51		
110	3442	0.32		
111	3443	0.32		
112	3444	0.66		
113	3459	0.19		
निजी भूमि का योग–		**42.48**		

2. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(7)–2014–सात–शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के कमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा–12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क0–2 सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सिंगरौली के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(8)–2014–सात–शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र 10. के पृ कमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर एवं परियोजना प्रबंधक कार्यपालन यंत्री जल संसाधनसंभाग क0–2 सिंगरौली समुचित सहयोग करेंगे एव प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय–सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

4. अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नही होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

5. अधिनियम की धारा–15(1) के अधीन यथा उपबधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.–960–भू–अर्जन–2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सीधी–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

:–अनुसूची:–

(1) **भूमि का वर्णन–**

(क) जिला :– सिंगरौली

(ख) तहसील :– देवसर

(ग) ग्राम :– जियावन

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :– जियावन

(ड़) निजी भूमि का अर्जि क्षेत्रफल :– **रकवा 0.048 हे0**

क0	खसरा न0	अर्जित रकवा हे0 में	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	594/2/1/2	0.0040	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे सीधी	सीधी–सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	594/2/1/3	0.0080		
3	594/2/1/4	0.0080		
4	594/2/1/5	0.0080		
5	594/2/11	0.0030		
6	594/2/12	0.0030		
7	594/2/13	0.0030		
8	594/2/14	0.0070		
9	594/2/15	0.0010		
10	594/2/16	0.0010		
11	594/2/17	0.0010		
12	594/2/18	0.0010		
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग–		0.0480		
(ब) म0प्र0 शासन की भूमि का योग–		NIL		
(अ) + (ब) का योग–		0.0480		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.–962–भू–अर्जन–2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सीधी–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

:–अनुसूची:–

(1) <u>भूमि का वर्णन–</u>

(क) जिला :– सिंगरौली

(ख) तहसील :– देवसर

(ग) ग्राम :– सिलफ

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :– आमों

(ड़) निजी भूमि का अर्जि क्षेत्रफल :– रकवा 1.9340 हे0

क0	खसरा न0	अर्जित रकवा हे0 में	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	301/1/2	0.0200	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे सीधी	सीधी–सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	301/1/3	0.0200		
3	301/1/4	0.0200		
4	301/1/5	0.0200		
5	301/1/6	0.0200		
6	301/1/7	0.0200		
7	319/1	0.3140		
8	322	0.1800		

9	255/1/1	0.0340
10	255/2/1	0.0340
11	142	0.3200
12	284/1/1	0.0120
13	284/1/2	0.0100
14	284/1/3	0.0100
15	284/1/4	0.0100
16	284/1/5	0.0100
17	284/1/7	0.0100
18	284/1/8/1	0.0100
19	284/1/9	0.0100
20	284/3	0.0300
21	284/2/1	0.0100
22	284/2/2	0.0100
23	284/2/3	0.0100
24	284/2/4	0.0100
25	284/2/5	0.0100
26	284/2/6	0.0100
27	284/2/7	0.0100
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग–		1.184

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

चन्द्रशेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू–अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र.–3101–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–15–अ–74–2025 खरगोन, दिनांक 30 मई 2025

प्ररूप– "घ"
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 1157 वाचक–1/री–/2025 खरगोन दिनांक– 27-02-2025** द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईको उद्वहन सिंचाई **परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0 कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम पीपरी प.ह.न.– 13 तह0 खरगोन जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।**

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	पीपरी/35	669	0.010
			670/2	0.006
			767	0.005
			766	0.013
			764	0.006
			681	0.008
			682	0.034
			683	0.003
			602	0.024
			75/7	0.002
			75/6	0.02
			75/11	0.021
			75/10	0.023
			561/1	0.008
			558/1	0.029
			1058	0.03
			1077/2	0.01
			1076	0.011
			1075/2	0.015
			1089/1	0.002
			1089/2	0.018
			1096	0.005
			1097	0.010
			1093	0.014
			1092	0.004
			1157/1	0.017
			427	0.016
			429/2	0.049
			376	0.09
			374	0.024
योग--			30	0.527

क्र.–3103–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–15–अ–74–2025

प्ररूप– "घ"
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है)- की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 1131 वाचक–1/री–/2025** खरगोन **दिनांक–27-02-2025** द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईको उद्वहन सिंचाई **परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0 कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम इदारतपुर प.ह.न.– 17 तह0 खरगोन जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।**

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	इदारतपुर/17	441	0.025
			439/2/2	0.052
			439/2/1	0.038
			439/1	0.033
			423/2	0.026
			436	0.094
			433	0.051
			430	0.053
			429	0.050
			427	0.056
			426	0.038

			426	0.013
			375/1	0.021
			375/2/2	0.003
			375/2/3	0.024
			375/2/4	0.015
			376/7	0.022
			376/8	0.029
			376/12	0.059
			355	0.011
			351/3	0.040
			351/2	0.042
			351/4	0.010
			356/1	0.005
			320/1/1/2/1	0.062
			316/4	0.002
			316/3	0.046
			314	0.023
			315/1	0.015
			306	0.005
			305/1/1	0.005
			274/2	0.024
			274/1	0.024
			273/2	0.032
			237/1	0.027
			272/1	0.002
			265/3/1	0.038
			439/2/2	0.015
			444/1	0.036
			443	0.026
			436	0.008
			437	0.030
			455	0.018
			454	0.029
			453/1	0.011
			453/2	0.027
			476/2	0.037
			477/2	0.022
			474	0.031
			473	0.006
			426	0.011
			375/1	0.034
			374/1/1	0.001
योग–			**54**	**1.484**

क्र.–3105–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–17–अ–74–2025

प्ररूप– ''घ''
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 1133 वाचक–1/री–/2025 खरगोन दिनांक– 27-02-2025** द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईको उद्वहन सिंचाई **परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0 कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम टेमला प.ह.न.– 25 तह0 खरगोन जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।**

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये
				अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	टेमला/25	26/1/1	0.004
			26/2/2	0.039
			26/1/2	0.017
			47/1	0.023
			48	0.023
			49/14	0.012
			49/9	0.047
			57	0.007
			56	0.007
			156	0.006
			155	0.009
			133/2	0.022

			133/1	0.027
			125/1	0.055
			127/3	0.009
			118/2/1	0.046
			118/2/3	0.023
			118/3	0.031
			237/1/1	0.031
			237/1/2	0.022
			237/2	0.031
			240	0.019
			312	0.004
			423	0.046
			421/1	0.004
			420	0.006
			419	0.010
			323	0.025
			334/3	0.039
			335	0.049
			336/2	0.007
			341	0.013
			342	0.119
			381/1	0.014
			380/3	0.003
			383	0.013
			386	0.024
			127/3	0.027
			128/3	0.057
			129/1	0.017
			129/2	0.018
			129/3	0.023
			312	0.065
			311	0.004
			310	0.012
			307/2	0.007
			308	0.006
			306	0.005
			274	0.017
			282	0.017
			280/2	0.007
			280/1	0.003
			283	0.002
			284/2	0.021
			284/1	0.024
			286/6	0.005
			285	0.016
			288	0.034
योग–			58	1.173

क्र.–3107–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–18–अ–74–2025

प्ररूप– "घ"

(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 1135 वाचक–1/री–/2025 खरगोन दिनांक– 27-02-2025** द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईको उद्वहन सिंचाई **परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0 कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम छालपा प.ह.न.– 17 तह0 खरगोन जिला** खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	छालपा/17	317	0.040
			316	0.053
			314/2/2	0.037
			310	0.005
			309	0.018
			308	0.016
			307/1	0.033
			306/1	0.02
			293	0.022
			291	0.034
			287/2	0.027
			287/1	0.039
			281	0.05
			279/1	0.032
			279/2/1	0.059
			278	0.082
			287/2	0.021
			264/1	0.027
			264/2	0.017
			266	0.024
			185/2	0.010
			184	0.010
			183	0.016
			181/2	0.006
			182/2	0.003
			182/1	0.02
			175	0.010
			45	0.016
			28	0.747
योग–				

क्र.–3109–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–19–अ–74–2025

प्ररूप– ''घ''

(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 1137 वाचक–1/री–/2025 खरगोन दिनांक– 27.02.2025** द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईको उद्वहन सिंचाई **परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0 कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–02 तक बिछाई जाने** वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम बेजापुरा प.ह.न.– 38 तह0 खरगोन जिला **खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।**

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	बेजापुरा/17	20	0.050
			21/2	0.030
			21/3	0.017
			21/5	0.032
			21/6	0.034
			23/3/2	0.037
			22/3/1	0.002
			27/2	0.013
			19/2	0.023
			19/3	0.046
			22/2/1	0.01
			22/1/1	0.008
			19/4	0.027
			23/1	0.018
			24	0.021
			16/2/1	0.006
			16/1/1	0.039
			16/3	0.014
			12/2	0.036
योग–			19	0.463

क्र.–3111–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–23–अ–74–2025

प्ररूप– ''घ''
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 1155 वाचक–1/री–/2025 खरगोन दिनांक–.** 27.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईको उद्वहन सिंचाई **परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0** कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. **खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम पोखरखुर्द प.ह.न.– 19 तह0 खरगोन जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।**

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	पोखरखुर्द/19	24/4	0.02
			27/1/1	0.048
			27/2/1	0.035
योग–			3	0.103

क्र.–3112–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–24–अ–74–2025

प्ररूप– "घ"
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 1147 वाचक–1/री–/2025 खरगोन** दिनांक– 27.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईको उद्वहन सिंचाई **परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0 कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम डोंगरचिचली प.ह.न.– 39 तह0 खरगोन जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।**

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	डोंगरचिचली/39	8/1	0.028
			8/2	0.024
			8/3	0.032
			8/4	0.021
			31/2	0.032
			50/1	0.016
			50/2	0.009
			50/3	0.011
			50/4	0.013
			50/5	0.009
			49/1/1	0.019
			49/2	0.035
			49/4/2	0.016
			49/7	0.033
योग–			14	0.298

क्र.–3114–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–22–अ–74–2025

प्ररूप– "घ"
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 1171 वाचक–1/री–/2025 खरगोन दिनांक–** 27.022025 द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईको उद्वहन सिंचाई **परियोजना के अंतर्गत** इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0 **कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम सिनखेडा प.ह.न.– 34 तह0 खरगोन जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।**

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	सिनखेडा/34	12/4	0.018
			12/3	0.040
			15/1/1	0.025
			15/1/2	0.002
			15/1/3	0.034
			39/7	0.002
			39/4	0.016
			39/5	0.032
			37/1	0.010
			37/2	0.015
			37/3	0.014
			36/1/1	0.005
			36/1/2	0.005
			36/2	0.006
			160/1	0.008
			160/2	0.024
			163/1/1	0.014
			163/1/2	0.004
			163/1/3	0.004
			163/2/1	0.018
			163/2/2	0.005
			163/3/1	0.005
			176	0.017
			173	0.023
			175	0.008
			174/2	0.023
			174/1	0.003
			406	0.023
			408	0.012
			410/1/1	0.020
			410/3/4	0.005
			410/3/3	0.005
			410/3/2	0.005
			410/3/1	0.005
			412/1/2	0.011
			412/1/1	0.009
			412/2/5	0.003
			412/2/4	0.004
			412/2/3	0.004

			412/2/2	0.004
			412/2/1	0.004
			405/1/2	0.013
			405/2/2	0.008
			402/2	0.008
			402/1	0.012
			401/3	0.013
			401/2	0.013
			401/1	0.015
			400/1/1	0.015
			400/3	0.030
			400/2	0.03
			374/3	0.063
			369/1/1	0.002
			368/1	0.042
			363/1/1	0.014
			362/2	0.014
			361/1/1	0.006
			360/2/3	0.003
			360/2/2	0.018
			358/1	0.036
			321/5	0.024
			322/2	0.011
			321/6/1	0.008
			321/7	0.016
			322/1/2	0.014
			322/1/1	0.036
			320/1/1	0.006
			315	0.003
योग–			68	0.967

क्र.–3116–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–21–अ–74–2025

प्ररूप– ''घ''
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक– 1139 वाचक–1/री–/2025 खरगोन दिनांक–27-02-2025** द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईक्रो उद्वहन सिंचाई **परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0 कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक–02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम रोमचिचली प.ह.न.– 17 तह0 खरगोन जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।**

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	रोमचिचली/37	32/1/3	0.034
			32/1/5	0.016
			32/1/7/2	0.027
			35/4	0.064
			36/2	0.019
			36/3	0.025
			39/1/1	0.032
			39/1/3	0.031
			32/1/6	0.019
			94/3	0.025
			94/2	0.059
			94/1	0.032
			96/1	0.022
			97/1	0.022
			99/2	0.006
			160/1/1	0.023
			159/1/2	0.004
			159/1/3	0.013
			159/2/1	0.010
			159/1/4	0.011
			159/2/2/1	0.043
			159/2/22	0.013
			158/2	0.017
			99/4	0.019
			99/1	0.012
			90/3/2	0.030
			90/3/1	0.012
			90/1/2	0.017
			90/1/1	0.032
			107/2	0.032
			107/4	0.016
			107/1	0.019
			75/10	0.013
			75/8	0.009
			75/5	0.004
			75/3	0.032
			75/2	0.025
			74/3	0.004
			74/2	0.022
			74/1	0.017
			75/4	0.012
			73	0.005
			111/1	0.007
			112	0.112
			117/5	0.016
			117/6	0.048
			117/4	0.014
			120/1	0.044
			123/8	0.014
			123/4	0.038
			123/3	0.024
			128/1	0.040
योग–			52	1.256

क्र.–3118–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–21–अ–74–2025

प्ररूप– "घ"

(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 1169 वाचक–1/री–/2025 खरगोन दिनांक–.** ..... द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईको उद्वहन सिंचाई **परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0 कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम बोरगॉव खुर्द प.ह.न.– 26 तह0 खरगोन जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।**

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	बोरगॉव खुर्द/26	66/1	0.029
			66/2	0.029
			61/2	0.018
			61/3	0.012
			67	0.036
			68	0.027
			97	0.030
			95	0.009
			94	0.031
			93/1	0.019
			93/2	0.040
			96/1	0.003
			96/2	0.022
			85	0.006
			14	0.311
योग–			52	1.256

क्र.–3120–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–13–अ–74–2025

प्ररूप– "घ"
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक– 1123 वाचक–1/री–/2025 खरगोन दिनांक–. 27-02-2025** द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईको उद्वहन सिंचाई **परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0 कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक–02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम रणगॉव प.ह.न.–26 तह0 खरगोन जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।**

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये
				अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	रणगॉव / 26	20/1	0.025
			19/1	0.031
			18/2	0.027
			61	0.019
			62	0.003
			363	0.033
			313/5	0.053
			201	0.047
			203	0.009
			280	0.002
			277	0.023
			275	0.022
			270	0.008
			270	0.029
			212/1/2	0.032
			212/1/3	0.017
			213/1	0.01
			254/1	0.023
			253	0.014
			250	0.012
			249	0.006
			245	0.007
			242/1/1	0.006
			242/1/2	0.005
			242/2	0.007
			241/2/1	0.011
			241/2/2	0.012
			240	0.024
			572/4	0.024
			573/3	0.033
			574/1	0.011
			574/1	0.009
			574/3	0.016
			575	0.031
			576/1	0.037
			574/1	0.020
			574/2/1	0.028
			580/1	0.009
			580/2/1	0.016
			580/2/2	0.005
			581/1/2	0.04
			581/3/1	0.005
			582/2	0.002
			583/1	0.012
			583/2	0.014
			584/2/1	0.066
			607/4	0.008
			607/2	0.016
			608/1	0.055
			270	0.026
			269/3	0.041
			269/2	0.006
			561	0.015
योग–			53	1.062

क्र.–3122–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–14–अ–74–2025

प्ररूप– "घ"
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है). की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 1129 वाचक–1/री–/2025 खरगोन दिनांक–27-02-2025** द्वारा,राज्य सरकार ने पीपरी माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत **इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0 कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम गॉवसन प.ह.न.–35 तह0 खरगोन जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।**

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये
				अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	गॉवसन/35	68	0.091
			69/1	0.023
			69/2	0.031
योग–			3	0.145

क्र.–3124–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–12–अ–74–2025

प्ररूप– ''घ''

(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक –1173 वाचक–1/री–/2025 खरगोन दिनांक 27-02-2025** द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईको उद्वहन सिंचाई **परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना मुख्य नहर की आर0डी0 118.50 कि0मी पर ग्राम–जामला तह0** कसरावद **जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–01 से ग्राम नरसिंगपुर तह. खरगोन जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक–02 तक बिछाई** जाने वाली भूमिगत **राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम बेडियापुरा प.ह.न. –28 तह0 खरगोन जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसुचि मे विनिर्दिश्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।**

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक– 21-03-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा,पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

: : अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	बेडियापुरा/28	18/2/1	0.004
			18/3/1	0.029
			18/5	0.016
			19/1	0.038
			19/2	0.02
			25/2	0.018
			25/1	0.016
			61	0.024
			62	0.018
			63/1	0.017
			65/3	0.027
			66	0.01
			64/2	0.018
			58	0.017
			57	0.019
			50/2	0.011
			50/3	0.015
			50/4	0.011
			49/1	0.026
			28/2	0.015
			49/2/2	0.017
			112/4	0.004
योग–			112/5	0.021

बी.एस.कलेश, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–66–भू–अर्जन–2025 बालाघाट, दिनांक 12 जून 2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार, ग्राम कटेगांव अंतर्गत पैताड़नाला जलाशय के निर्माण कार्य में पड़ने वाली निजी, शासकीय भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु मौजा कटेंगाव तहसील व जिला बालाघाट के भू–स्वामियों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू–धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है :–

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कॉलम नम्बर 05 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमि स्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कमांक 30 जून सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है।

अनुसूची

ग्राम का नाम	क्रं.	खातेदार का नाम	सर्वे नबंर	कुल रकबा हे.	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा हे.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
कटेगांव	1	मनियाबाई बेवा केवल, अतरसिंह, मेहताबसिंह, श्यामबती, प्रेमबती वल्द स्व. केवल सा.देह भूमिस्वामी	247	2.012	2.012	ग्राम कटेगांव अंतर्गत पैताड़नाला जलाशय निर्माण कार्य में पड़ने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण
	2	अनिल, सुनिता, अनिता, कनिता, सुनील सनिल ना.बा.पिता सुद्दूलाल पता कटेगांव	243/2	1.011	1.011	
	3	चुन्नीलाल उर्फ मुन्नीलाल वल्द चम्हरूलाल सुमनबाई, रूमानबाई पिता नगारची पता कटेगांव	343	0.486	0.486	
			344/1	0.288	0.288	
	4	सगरो पति झगडू, हसंलाल पिता मदन, दसवन्ती पति बाडू, सगुनाबाई बेवा शहरलाल पता कटेगांव	342	1.449	1.449	
	5	उषाबाई वल्द शंकरसिंह कटेगांव	352/8	2.913	2.913	
	6	झगडू वल्द प्रेमलाल पता कटेगांव	251/1	0.021	0.021	
			251/2	0.178	0.178	
			340/1	0.093	0.093	
	7	रवनी, सोमा वल्द नंदलाल, टेरकोबाई उर्फ दशमीबाई, तारनबाई, जंगलोबाई, दसरीबाई वल्द बुद्दू पता कटेगांव	340/4	0.478	0.478	
			251/10	0.405	0.405	
			251/9	0.186	0.186	
	8	सुगनाथ वल्द सूबेलाल पता कटेगांव	352/4/1	0.263	0.263	
			352/6	0.854	0.854	
	9	फागू वल्द प्रेमलाल पता कटेगांव	340/2	0.101	0.101	
			251/4	0.178	0.178	
	10	राधेलाल वल्द प्रेमलाल पता कटेगांव	340/3	0.097	0.097	
			344/2	0.505	0.505	
	11	दयालसिंह, नगारची वल्द रूवा	243/1	1.433	1.433	
	12	पतिराम वल्द रीढू, संतराम, दुर्गा, छोटी, मोटी वल्द गोंदल, ज्ञान्तीबाई बेवा चैतराम, सुकचंद, सैवंतीबाई,	249	0.445	0.445	

		सावंतीबाई वल्द नैतराम				
	13	श्रीराम, प्रमीलाबाई वल्द सुखराम, उर्मिलाबाई बेवा हरीराम, विनकुमार, राजकुमार, रश्मि, अनिता पिता हरीराम, चतरू, हनवंताबाई पिता इशाराम पता बालाघाट	339	1.629	1.629	
कटेगांव	14	जैपाल वल्द हीरा पता कटेगांव	250/1	0.133	0.133	
			338/1	0.405	0.405	
	15	सुखराम, सेवकराम वल्द महिपाल, भुरकनबाई बेवा महिपाल, विशाल ना. बा., रोशनी ना.बा. वल्द महिपाल ना. बा.वली मा भुरकनबाई	250/2	0.312	0.312	
			338/2	0.890	0.890	
	16	नरबद वल्द गेंदलाल कटेगांव	251/13	0.368	0.368	
	17	सेवकराम वल्द गेंदलाल कटेगांव	251/14	0.162	0.162	
			251/15	0.206	0.206	
	18	जैसिंग, नरबद, सेवकराम, झुन्नीबाई पिता गेंदलाल कटेगांव	337	0.283	0.283	
	19	धनराज, उर्मिला वल्द यादोराव कटेगांव	353	0.817	0.817	
	20	नन्हीबाई पति शंकरसिंह कटेगांव	352/7	2.913	2.913	
	21	सुकनमबाई बेवा शंकरसिंह कटेगांव	352/1	5.665	5.665	
	22	लीलावती पिता मोहनसिंह, नरेन्द्र, गणेश, सोनू, ज्ञानवती, धनवती पिता मोहनसिंह	354	1.883	1.883	
			355	1.886	1.886	
	23	भागरता बेवा साइल, उर्मिला, चन्द्रकला, रामबती, फूलबती, आशा, निशा वल्द साइल	349/1	0.774	0.774	
			336/1/1	1.798	0.225	
	24	कीर्ति बेवा राजेश, वैदिका ना.बा., निहारिका ना.बा. पिता राजेश सरक्षंक कीर्ति, देवकीबाई बेवा शिवनाथ, जमुना, साक्शी पिता शिवनाथ	335/1/2	0.321	0.072	
			352/5	3.144	3.144	
	25	माहू पिता सम्पत, सम्पत पिता ओमकार, इंद्रकुमार पिता सम्पत, हंसलता पिता सम्पत	352/2	0.506	0.506	
	26	कौशलबाई बेवा जागू, सुनिता, रूखवन्ती, सुकवन्ती पिता जागू निवासी कटेगांव	351/5	0.020	0.020	
			351/6	0.182	0.182	
			योग :–	37.693	35.871	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कुआं/नलकूप/वृक्ष आदि बाबत दावा आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 पंद्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावें/आपत्तियां मान्य नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मृणाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ग्वालियर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–0005–अ–82–आ.स.क.नी.–2024–25–भू–अर्जन–10213 ग्वालियर, दिनांक 9 जून 2025

चूंकि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रयनीति अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय–समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम **मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को** म.प्र. आपसी सहमति कय नीति 2014 के तहत **ग्वालियर जिले में जलावर्धन योजनांतर्गत जल शोधन संयंत्र एवं इंटेकवेल तक पंहुच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गंगापुर** तहसील डबरा जिला ग्वालियर की निजी भूमि रकबा 0.154 हेक्टेयर की आवश्यकता हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है, तथा इसके भूमि स्वत्व, भूमिस्वामियों द्वारा आपसी सहमति से क्रयनीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप–'ख' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

म.प्र. आपसी सहमति से भूमि क्रयनीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये सूचना जारी की जा रही है कि कयनीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिलाः– ग्वालियर ग्रामः– गंगापुर
अर्जित क्षेत्रफलः–0.154है. तहसीलः– डबरा

स. क.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम एवं निवास स्थान	सर्वे नं.	कुल क्षेलफल (हे.में)	अर्जित क्षे. (हे. में)	अन्य सम्पत्ति	अन्य संरचना
1	श्री बृजमोहन पुत्र लक्ष्मन जाति जाटव हि. 1/4, धनीराम पुत्र रामदास जाति जाटव हि. 1/60, मूलचंद पुत्र रामदास हि. 1/60, कप्तान पुत्र रामदास हि. 1/60, पार्वती पत्नी रामदास जाति जाटव हि. 1/60, बादामी पुत्री रामदास हि. 1/60, ममता पुत्री रामदास जाटव हि. 1/60,रामकिशन पुत्र लक्ष्मन हि. 1/4, उमाशंकर पुत्र भरोसा, हि. 1/10, गोपाल पुत्र भरोसा हि. 1/10, मानसिंह पुत्र भरोसा हि. 1/10, विमलाबाई पुत्री भरोसा हि. 1/10, जाति जाटव समस्त निवासीगण ग्राम भूमि स्वामी	106	1.672	0.1449	–	–
2	श्रीमति जमना जाटव पत्नी श्री ब्रजमोहन जाटव पता निवासी ग्राम बिलौआ तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र. हि. 1	107/2	0.554	0.0091	–	–
	कुल किता 2			0.154	–	–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.